जंक्शन पर दो मोबाइल और नेपाली करेंसी के साथ धराया सीतामढ़ी का युवक

मुजफ्फरपुर. जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे पुलिस को सफलता मिली है. रेल थानाध्यक्ष बीरबल कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार की सुबह स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 के पूर्वी छोर पर पोल संख्या-2 के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को धर दबोचा. तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी के दो मोबाइल फोन और 5500 रुपये नेपाली नोट बरामद किए गए. पूछताछ में पकड़ाए आरोपी की पहचान सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी सुशील सिंह (26 वर्ष) के रूप में हुई है.

धनतेरस, दीपावली व आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं
मोहिनी कॉन्ट्रेक्ट्स प्रा0 लि0
मनकौली पोखर, शिव मंदिर के निकट, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर
मो0-9470667778
9431819491
निदेशक
शिव शंकर यादव
M.C.B. फ्लाई ऐस ब्रिक्स ब्लॉक एवं पेवर निर्माता एवं विक्रेता
निदेशक
राजीव कुमार

प्रखंड व पंचायत के सभी सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राजद कार्यकर्ताओं व नेताओं को धनतेरस, दीपावली एवं आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं.
निवेदक :
रंजन कुमार यादव
पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत राज दरियापुर कफेन व निवर्तमान युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष, कुढ़नी

प्रखंड व पंचायत के सभी सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मी को धनतेरस, दीपावली व महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं.
निवेदक :
सुनील मंगलम
मुखिया
ग्राम पंचायत राज फकुली, कुढ़नी

सद्गुरु साई आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम का बना रहा था नकली प्रोडक्ट

नकली आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, कच्चा माल व पैकिंग मशीनें बरामद

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बरियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली एक अवैध मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली दवा बनाने की सामग्री, मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद से अवैध रूप से दवा निर्माण करने वाले गिरोह में हड़कंप मच गया है. डीएसपी पूर्वी टू मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सद्गुरू साई आयुर्वेदिक फार्मेसी के मैनेजर के द्वारा सूचना दी गयी कि उनके प्रोडक्ट का नकली समान अवैधक फैक्ट्री में बनाया जा रहा है. सूचना के आलोक में छापेमारी करके पूरे मामले का खुलासा किया गया है. जानकारी के अनुसार, बरियारपुर थाना के ग्राम छपरा बहोर स्थित मुखिया चौक के पास उमंग वटी नामक नकली आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली एक अवैध मिनी फैक्ट्री के संचालन होने की गुप्त सूचना एसएसपी कार्यालय को मिली थी. प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस टीम और राजस्व अधिकारी सकरा की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया. संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी की, जहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का खेल चल रहा था.


छापेमारी में जब्त मशीन.

ब्रांडेड कंपनी के नाम पर खुले बाजार में सप्लाई की थी तैयारी : पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई कि यह अवैध कारोबार वैशाली जिला के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरिया गांव निवासी रंजन महतो के द्वारा चलाया जा रहा था. आरोपी द्वारा सद्गुरू साई आयुर्वेदिक फार्मेसी के अधिकृत उत्पाद के नाम पर नकली और मिलावटी सामान तैयार कर उसे खुले बाजार में धड़ल्ले से सप्लाई करने का उद्देश्य था. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की मशीनें जब्त की गई हैं.

इस मामले में पीड़ित कंपनी उमंग वटी के मैनेजर ब्रजभूषण कुमार द्वारा बरियारपुर थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया है. मैनेजर द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, इस अवैध फैक्ट्री के संचालन में शामिल पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India
आंचलिक कार्यालय: यमुना कॉम्प्लेक्स, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर

अचल संपत्तियों का बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तिय अस्तियों को पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए प्रवर्तन अधिनियम (इंफोर्समेंट) अधिनियम 2002 के साथ पठित धारा 8 (6) के अनुसार ई-निलामी बिक्री सूचना।

जनता का आमतौर पर और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति के सुरक्षित ऋणदाता को बंधक/चार्ज किया गया, **जिसका रचनात्मक/प्रतिकात्मक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया** (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है नीचे उल्लिखित तिथि पर **''जैसा है जहाँ है '' जैसा है जो है आधार पर '' और ''जो कुछ भी है''** पर बेचा जाएगा, यहाँ उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं एवे जमानतदरों से **बैंक ऑफ इंडिया** को स्वीकृत किया गया है। आरक्षित मूल्यएवं अग्रधन राशि भी यहाँ उल्लेख किया गया है।

कर्जदार एवं जमानतदार का नाम

01. शाखा : पैगम्बरपुर कोल्हुआ शाखा, कर्जदार एवं जमानतदार का नाम : मेसर्स राज मार्बल प्रो. श्री राकेश कुमार पिता जय मंगल भगत (उधारकर्ता एवं गिरवीकर्ता) गारंटर - श्री अजय कुमार कुशवाहा पिता जय मंगल भगत
बकाया राशि : **30.83** लाख +ब्याज, लागत एवं खर्च, **मांग सूचना तिथि 13(2)**: 31.12.2025 **कब्जा की तिथि 13(4)**: 30.04.2026
सम्पत्ति का विवरण : बंधक भूमि श्री राकेश कुमार पिता-जय मंगल भगत के नामित, मौजा-सादतपुर, थाना-कांटी, खाता संख्या-101, खेसरा संख्या-2955, थाना संख्या-392, सेल डीड नं.-4005 दिनांक 11.06.2018 एवं सेल डीड नं.- 9371 दिनांक 18.12.2018, रकबा-4 डेसिमल, चौहद्दी-उत्तर-निज लेखिकारी, दक्षिण-अजय कुमार कुशवाहा एवं सत्यभामा देवी, पूरब-अजय कुशवाहा एवं गफ्फर, पश्चिम-15 फीट कच्ची सड़क
आरक्षित मूल्य : **30.60** लाख, **जमा करने के लिए अग्रधन राशि : 3.06** लाख

02. शाखा : बासुदेवपुर दरभंगा शाखा, कर्जदार एवं जमानतदार का नाम : श्री कैलाश महथा एवं श्रीमती रानी कुमारी, पता - फैजुल्लाह खान, मौलागंज, दरभंगा
बकाया राशि : 13.15/- लाख +ब्याज, लागत एवं खर्च, **मांग सूचना तिथि 13(2)**: 20.05.2025, **कब्जा की तिथि 13(4)**: 21.08.2025
सम्पत्ति का विवरण : रजि. बंधक भूमि एवं मकान कैलाश महथा के नामित, स्थित फैजुल्लाह खान (मौलागंज) थाना- लहेरियासराय, अंचल-दरभंगा, जिला-दरभंगा, रजिस्ट्रर्ड बंधक डीड संख्या- 10594, दिनांक 08.07.2015, खाता नं.-00, खेसरा संख्या- 20725, थाना संख्या- 759, रकबा- 10 धुर, चौहद्दी- उत्तर- निज विक्रेता, दक्षिण- पीसीसी रोड, पूरब-मो. अशरफ, पश्चिम-मो. बिंदा
आरक्षित मूल्य : **43.41** लाख, **जमा करने के लिए अग्रधन राशि :4.34** लाख

ई-निलामी की शर्तें :
1. ई-निलामी की तिथि तथा समय : 26.11.2026 को 11.00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराह्न तक। उस के बाद की अवधि 10 मिनटों की अंतराल में होगी।
2. ईएमडी एवं दस्तावेजों को जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय : 25.11.2026 को 5.00 बजे तक
3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय : 25.11.2026 को 5.00 बजे तक
4. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- आंचलिक कार्यालय, मुजफ्फरपुर, मो.-7980162782
5. उधारकर्त्ताओं/जमानतदारों को 15 दिनों को बिक्री सूचना उनके अन्तिम पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी/जा चुकी है। यदि सूचना नहीं प्राप्त करते है, तब इस ई-निलामी बिक्री सूचना को भी उपयुक्त सूचना मानी जायेगी।

विक्रय का निबंधन और शर्तों के ब्यौरा के लिए कृपया दिए गए बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://baanknet.com

स्थान : मुजफ्फरपुर
दिनांक : 05.11.2026
नोट: विवाद की स्थिति में अँग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

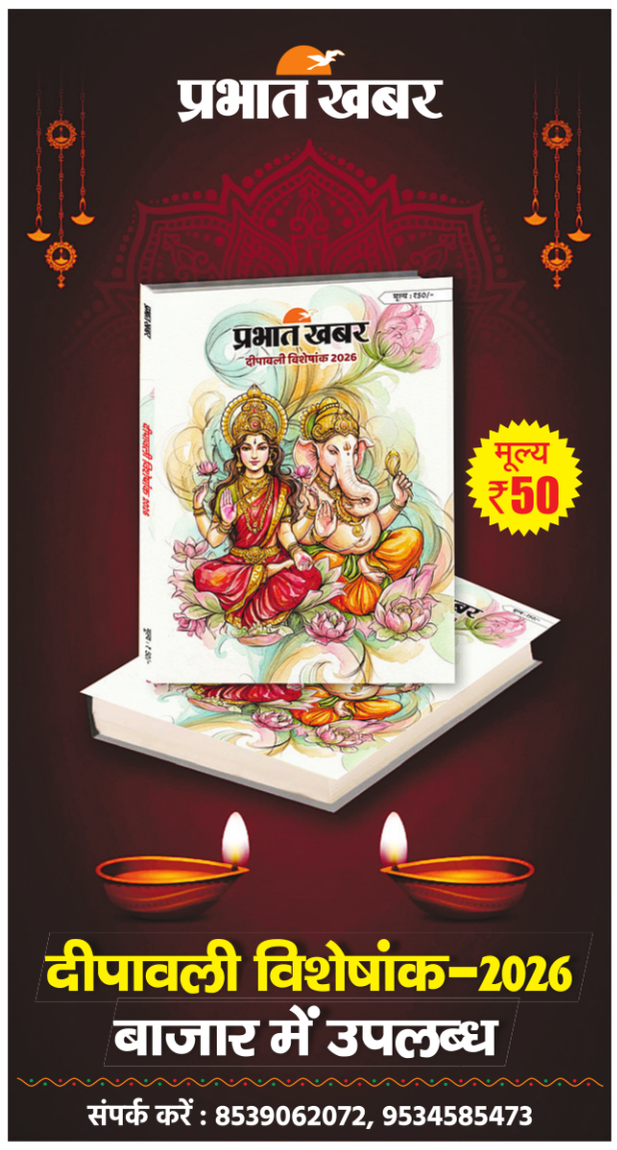
12 नवंबर से शुरू होगा विशेष पुनरीक्षण अभियान

मुजफ्फरपुर . जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियोंऔर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने 'नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइण्ड' के संकल्प को दोहराते हुए अधिक से अधिक योग्य नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आह्वान किया है. उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विशेष पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है. इसके प्रमुख चरण इस प्रकार हैं.

- प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन : 12 नवंबर
- दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि : 12 नवंबर से 11 दिसंबर
- दावा और आपत्तियों का निष्पादन : 28 दिसंबर
- निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन : 4 जनवरी

कांटी-मड़वन के 50 गांवों को मिलेगी निर्बाध बिजली

मुजफ्फरपुर. कांटी और मड़वन के बिजली उपभोक्ताओं के लिए विधायक इं. अजीत कुमार के प्रयास से क्षेत्र में 12 किमी लंबी 33 केवी विद्युत लाइन का निर्माण कराया जायेगा. इस कार्य की जिम्मेदारी गैलेक्सी कंपनी को सौंपी गयी है. विधायक के अनुसार, एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा.



रौतनिया में कचरे से बनेगी सीबीजी गैस, गेल संभालेगी प्लांट की कमान

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

शहर में गीले कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और उससे हरित ऊर्जा तैयार करने की दिशा में नगर निगम ने पहल तेज कर दी है. मुजफ्फरपुर में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित किया जायेगा. इसके निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को सौंपी गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसके लिए गेल के साथ 25 वर्षों का एमओयू किया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 के तहत ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाना है. इसी योजना के तहत मुजफ्फरपुर में सीबीजी प्लांट लगाने का जिम्मा गेल को दिया गया है. परियोजना के लिए नगर निगम 10 एकड़ जमीन 25 वर्षों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करायेगा. हालांकि, जमीन का स्वामित्व नगर निगम के पास ही रहेगा. 25 साल की अवधि पूरी होने के बाद प्लांट का संचालन नगर निकाय को हस्तांतरित कर दिया जायेगा. सीबीजी प्लांट के निर्माण और संचालन पर होने वाला पूरा खर्च गेल वहन करेगी. इसमें नगर निगम क्षेत्र के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अलग-अलग एकत्रित गीले कचरे का इस्तेमाल किया जायेगा. इसके प्रसंस्करण से कंप्रेस्ड बायो गैस और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (जैविक खाद) जैसे उत्पाद तैयार होंगे.

800 की आबादी पर बनेगा एक गणना ब्लॉक

मुजफ्फरपुर. जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज हो गयी हैं. इसके लिए जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों (चार्ज अधिकारियों) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं. अधिकारियों को मकानसूचीकरण ब्लॉक (एचएलबी) के आधार पर गणना ब्लॉक (ईबी) और उप-गणना ब्लॉक (सब-ईबी) का गठन करने के साथ संक्षिप्त मकान सूची (एएचएल) तैयार करने का निर्देश दिया गया है. निदेशालय के निर्देश के अनुसार, गणना कार्य को व्यवस्थित और सुचारु बनाने के लिए आबादी के आधार पर ब्लॉकों का निर्धारण किया जायेगा. जिस मकानसूचीकरण ब्लॉक की आबादी 800 तक होगी, उसे एक गणना ब्लॉक माना जायेगा.